SWAMI KESHWANAND RAJASTHAN AGRICULTURAL UNIVERSITY
National Highway No. 15, Sriganganagar Road, Beechwal - Bikaner – 334006 (Rajasthan)
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 15, श्रीगंगानगर रोड़, बीछवाल - बीकानेर - 334006 (राजस्थान)
Phone : 0151-2250025 Fax : 0151-2250025 E-mail: reg@raubikaner.org

क्रमांक : प. 107 / स्वाकेराकृवि / बैठक शाखा / बोम–116 / 53 दिनांक : 29.08.2024

समस्त प्रबन्ध मण्डल सदस्य
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,
बीकानेर।

विषय : विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 12.08.2024 के कार्यवृत भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत दिनांक 12.08.2024 को आयोजित विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की 116वीं बैठक के कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्न : उक्तानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् प्रमुख सचिव, राज्यपाल राजस्थान, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2. वित्त नियंत्रक / भू–संपत्ति अधिकारी, एसकेआरऐयू, बीकानेर
3. अधिष्ठाता / निदेशक / परीक्षा नियन्त्रक, एसकेआरऐयू, बीकानेर
4. प्रभारी अधिकारी, सिमका, एसकेआरऐयू, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के कार्यवृत्त विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
5. निजी सचिव, कुलपति / वरिष्ठ निजी सहायक, कुलसचिव, एसकेआरऐयू, बीकानेर

कुलसचिव

SWAMI KESHWANAND RAJASTHAN AGRICULTURAL UNIVERSITY
National Highway No. 15, Sriganganagar Road, Beechwal - Bikaner – 334006 (Rajasthan)
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 15, श्रीगंगानगर रोड, बीछवाल - बीकानेर - 334006 (राजस्थान)

दिनांक 12.08.2024 को सायं 04:00 बजे सभागार कुलपति सचिवालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 116वीं बैठक के कार्यवृतः.

निम्न सदस्यों ने बैठक में भाग लिया :–

1.	डॉ0 अरूण कुमार कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	**अध्यक्ष**
2.	श्री सजीव बेनीवाल विधानसभा सदस्य. राजस्थान विधानसभा, जयपुर	सदस्य
3.	श्रीमति वंदना सिंधवी संभागीय आयुक्त, बीकानेर प्रतिनिधि वित सचिव राजस्थान सरकार,जयपुर	सदस्य
4.	श्री एस.एस.शेखावत, अतिरिक्त निदेशक कृषि(विस्तार), बीकानेर, प्रतिनिधि निदेशक कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
5.	डॉ0 दाता राम कुम्हार, निदेशक, भू–सदृश्यता एवं राजस्व सृजन निदेशालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर।	सदस्य
6.	डॉ0 विजय प्रकाश, निदेशक अनुसंधान (कृषि) स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।	सदस्य
7 .	डॉ0 एस0 आर0 यादव, आचार्य (कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान) कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर।	सदस्य
8.	डॉ0 योगेश शर्मा, आचार्य (कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान), कृषि महाविद्यालय, बीकानेर।	सदस्य
9.	डॉ0 नरेन्द्र सिंह, सह–आचार्य (पौध व्याधि), स्वं0 श्री रामनारायण चोधरी कृषि महाविद्यालय,मंडावा–झुंझुनू	सदस्य
10.	डॉ0 ममता सिंह, सहायक आचार्य (खाद्य एवं पोषण), सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर	सदस्य
11.	श्री राजेन्द्र कुमार खत्री वित्त नियंत्रक स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	श्री कमल कुमार खत्री, भू–सम्पति अधिकारी स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	डा0 देवाराम सैनी, आर0ए0एस0 कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	सदस्य सचिव

माननीय कुलपति महोदय द्वारा माननीय विधानसभा सदस्य श्री सजीव बेनीवाल जी का स्वागत किया गया एंव सभी सदस्यों का परिचय कराया गया । डॉ0 विजय प्रकाश द्वारा विश्वविद्यालय की पिछले छः माह की प्रगति एंव किये गये विभिन्न विभागों की गतिविधियों का पावर पोईन्ट प्रस्तुति प्रस्तुत की गई ।

माननीय विधानसभा सदस्य द्वारा बैठक का अजेन्डा बैठक के तिथि से पन्द्रह दिवस पहले सदस्यों को भेजे जाने का सुझाव दिया गया ।

बैठक के दौरान सदस्यों का यह भी सुझाव था कि Agenda बिन्दु PPT में प्रस्तुत किये जावें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

बैठक में विचार–विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय पारित किये गये।

क्रं.सं.	मद संख्या	विवरण
1.	स्वाकेराकृवि / बोम–116 / 2024–2 / 1505	115वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.06.2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत्। **115वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.06.2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।**
2.	स्वाकेराकृवि / बोम–116 / 2024–2 / 1506	115 वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.06.2024 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही का अनुमोदन करने बाबत्। **115 वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.06.2024 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया ।**
3.	स्वाकेराकृवि / बोम–116 / 2024–2 / 1507	विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र/आदेश/अधिसूचना की पुष्टि करने बाबत्। **विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र/आदेश/अधिसूचनाओं की पुष्टि की गई ।**
4.	स्वाकेराकृवि / बोम–116 / 2024–2 / 1508	स्थापना शाखा द्वितीय, प्रशासनिक कार्यालय, एसकेआरएयू, बीकानेर से प्राप्त प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.06.2024 में मद संख्या स्वाकेराकवि / बोम–115 / 2014–1 / 1502 में पारित निर्णय के अनुसार उक्त ऐजेन्डा मय स्टट्स रिर्पोट दस्तावेजों के सहित विचारार्थ । For consider delegation of power for taking disciplinary action and imposing penalty against Non-teaching employee under Chapter 9 rules 97 (ii) Rajasthan Agricultural University Employees Services and Conduct Rules 1998 and under Chapter 9 Rule 101 (ii) of Rajasthan Agriculture University Teachers & Officers service and conduct rules 1998. विस्तृत विचार विर्मश पश्चात निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं अधिकारी सेवा एवं आचरण नियम 1998 के चैप्टर 9 के नियम101(ii) के तहत Dean/Directors/ Registrar/ Estate Officer/Comptroller को अपने अधीनस्थ शिक्षकों / अधिकारियों के विरूद्व Chapter 9 rule 100 के sub clause (i), (ii) एवं (iii) में उल्लेखित लघु शास्ति अधिरोपित करने एवं कुलपति को अपील

		हेतु सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) घोषित (declare) किये जाने का अनुमोदन किया गया । यह भी पारित किया कि विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक संवर्ग के कार्मिको के सेवा एवं आचरण नियम 1998 के चैप्टर 9 के नियम 97 (ii) के तहत Registrar को विश्वविद्यालय के समस्त अशैक्षणिक संवर्ग के कार्मिको के विरूद्व Chapter 9 rule 96 के sub clause (i), (ii) एवं (iii) में उल्लेखित लघु शास्ति अधिरोपित करने एवं कुलपति को अपील हेतु सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) घोषित (declare) किये जाने का अनुमोदन किया गया । (कार्यवाही : कुलसचिव)
5.	स्वाकेराकृवि / बोम–116 / 2024–2 / 1509	स्थापना शाखा द्वितीय, प्रशासनिक कार्यालय, एसकेआरऐयू, बीकानेर से विचारार्थ निम्नानुसार प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं :– कार्मिक (क–ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक स. एफ.7(4) डीओपी / ए–2 / 2023 दिनांक 05.07.2024 को अंगीकृत करते हुए तद्नुसार विश्वविद्यालय अशैक्षणिक कार्मिक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1998(University Non Teaching Employees Recruitment and Promotion Rules 1998)के शैड्यूल A एवं B में पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव में वर्ष 2024–25 के लिए शिथिलीकरण प्रदान करने के संबंध में। **अनुमोदन किया गया ।** (कार्यवाही : कुलसचिव)
6.	स्वाकेराकृवि / बोम–116 / 2024–2 / 1510	स्थापना शाखा द्वितीय, प्रशासनिक कार्यालय, एसकेआरऐयू, बीकानेर से विचारार्थ निम्नानुसार प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं :– विश्वविद्यालय ये 30 जून को सेवा निवृत कर्मचारियों को माननीय न्यायलय के निर्णयों की पालना में एक काल्पनिक वेतन वृद्वि के सन्दर्भ में वित्त (नियम–वादकरण) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आशा.टीप.कमांकः प. 9(33)वित्त / नियम / 2007 दिनांक 03.06.2024 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने बाबत । **अनुमोदन किया गया ।** (कार्यवाही : कुलसचिव)
7.	स्वाकेराकृवि / बोम–116 / 2024–2 / 1511	राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53(1) के तहत अनिवार्य सेवानिवृति के प्रावधान को विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने बाबत। प्रबन्ध मण्डल की दिनाक 10.06.2024 को आयोजित 115वी बैठक के मद सख्या 1500 में उक्त प्रावधान को अंगीकार करने हेतु प्रस्तुत एजेन्डा आईटम को आरस्थगित (defer) किया गया था । **विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रशासनिक विभाग अर्थात कृषि**

		(ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार से विश्वविद्यालय के पेंशन नियमों में उक्त प्रावधान किये जाने की अनुमति ली जाकर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया । (कार्यवाही : कुलसचिव / वित्त नियंत्रक)
8.	स्वाकेराकृवि / बोम–116 / 2024–2 / 1512	To consider the proposal received from Dean,College of Community Science, Bikaner regarding revise rates of honorarium of guest faculty as per guidelines of UGC (dated 28.1.2019) and Government of Rajasthan (dated 30.3.2021 & 07.082023) **अनुमोदन किया गया ।** (कार्यवाही : वित्त नियंत्रक)
9.	स्वाकेराकृवि / बोम–116 / 2024–2 / 1513	To consider the following proposal received from Estate Officer, SKRAU, Bikaner:- 1. सेण्ट्रल एकेडमी स्कूल को भवन दिये जाने के तहत किराया, किराये की अवधि (Term of Rent), एम. ओ. यू. एवं भवन के रखरखाव बाबत। 2. सौर चेतना एवम् ऊर्जा विज्ञान शोध संस्थान, बीकानेर को सी. एल. सी. भवन एवम् छात्र छात्रावास संख्या–2 (IABM) भवन दिये जाने के तहत किराया, एम. ओ. यू. एवं भवन के रखरखाव बाबत। 3. **विचार विमर्श उपरान्त उपरोक्त सम्बध में प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिये जाने का अनुमोदन किया गया ।** (कार्यवाही : भू–सम्पति अधिकारी)
10.	स्वाकेराकृवि / बोम–116 / 2024–2 / 1514	विश्वविद्यालय वित समिति की बैठक दिनांक 27.07.2024 के कार्यवृत का अनुमोदन करने बाबत । **अनुमोदन किया गया ।** (कार्यवाही : वित्त नियंत्रक)

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी ।

(डा० देवाराम सैनी)
कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव

22-08-2024
(डॉ0 अरूण कुमार)
कुलपति एवं
अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल